बिस्कोमान

(बिहार–झारखण्ड)

आदेश

बिस्कोमान मुख्यालय आदेश ज्ञापांक स्था0/65/बी0–527 दिनांक 30.09.2023 के द्वारा श्री नीरज कुमार तत्कालीन क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान, पूर्णियाँ अतिरिक्त प्रभार, किशनगंज/कटिहार द्वारा संस्था को बडे पैमाने पर हानि पहुँचाने के साथ–साथ अपने नियंत्राधीन कृषक सेवा केन्द्रों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं करने के कारण घोर अनियमितता तथा अवैध कार्य के निम्न प्रमाणित आरोपों के आधार पर निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की गयी थी :–

1. श्री नीरज कुमार तत्कालीन क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान, पूर्णियाँ द्वारा गुलाबबाग (पूर्णिया) के जूट परिसर स्थित लगभग 800 मे0टन के गोदाम को निजी लाभ हेतु प्रबंधन को बिना सूचित किये किराया पर दिया गया तथा किराया की राशि को अपने पास रखा गया। इसके साथ–साथ जूट परिसर के बाहर उर्वरक गोदाम को भी मुख्यालय अनुमति के बिना 800 मे0टन क्षमता के गोदाम में से मात्र 200 मे0टन क्षमता को गलत एवं मनमाने तरीके से किराया पर दिया गया, जबकि गोदाम में कोई पार्टिशन वॉल भी नहीं है। जाहिर है, किरायेदार द्वारा अपने आवश्यकतानुसार पूरे गोदाम का उपयोग किया गया है। इसके साथ–साथ गोदाम के खाली परिसर को भी ठेकेदार द्वारा बडी मात्रा में बालू गिट्टी, छड आदि रखने के साथ–साथ पूरे परिसर का उपयोग वर्कशॉप के रूप में करने की अवैध अनुमति श्री नीरज कुमार द्वारा दी गयी है। ठेकेदार को लगातार पिछले करीब एक वर्ष से परिसर खाली करने का निदेश दिया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा खाली नहीं किया जा रहा है। उक्त असहज स्थिति श्री नीरज कुमार द्वारा ही उत्पन्न हुई है।
2. श्री नीरज कुमार द्वारा कार्य में किये गये लापरवाही के कारण ही उनके क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कृषक सेवा केन्द्रों यथा–कृषक सेवा केन्द्र, बनमंखी (पूर्णिया), कृषक सेवा केन्द्र, सेमापुर (पूर्णिया), कृषक सेवा केन्द्र, पोठिया (कटिहार) बडे पैमाने पर वहाँ पर पदस्थापित प्रभारियों द्वारा गबन किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त गबन में आपकी भी संलिप्तता है और आपके द्वारा कार्यों एवं दायित्वों में लापरवाही बरती गयी है।
3. श्री नीरज कुमार द्वारा दिनांक 28.02.2022 को कृषक सेवा केन्द्र, पोठिया (कटिहार) का भौतिक सत्यापन किया गया तथा मुख्यालय में प्रतिवेदन भी समर्पित है। जिसमें स्पष्ट प्रतिवेदित है कि दिनांक 28.02.2022 को बैंक में जमा राशि ₹12,59,524.46 है। जबकि बैंक स्टेटमेन्ट में उसी तिथि को मात्र ₹4,59,548.06 है। जिससे स्पष्ट है कि उस तिथि से पूर्व ही प्रभारी द्वारा लगभग ₹7,89,976.40 गबन कर लिया गया है तथा मुख्यालय को गुमराह करने हेतु फर्जी जमा दिखाया गया है, जिससे मिलान करने का दायित्व क्षेत्रीय पदाधिकारी का ही था, जो नहीं किया गया और न ही राशि को मुख्यालय विप्रेषित करायी गयी। इस प्रकार इस गबन को स्पष्ट रूप से संरक्षण प्रदान की गयी। राशि ₹12,59,524.46 आपके संज्ञान में आने के बाद भी राशि मुख्यालय को विप्रेषण हेतु लगातार प्रभारी की समीक्षा नहीं की गयी। उक्त से स्पष्ट है कि गबन में आपकी भी संलिप्तता थी और आपके कार्यों एवं दायित्वों में लापरवाही बरती गयी।

4. श्री नीरज कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णिया के कार्यकाल में इनके कार्य क्षेत्र में कई कृषक सेवा केन्द्रों में बडे पैमाने पर घटना के साथ–साथ संस्था के हितों के विपरीत अवैध कार्यों की शिकायत उन पर होती रही है, जैसे कि बाजार के दूसरे बिक्रेताओं से नैनो यूरिया क्रय कर बिस्कोमान, कृषक सेवा केन्द्रों से बिक्री करना जैसा कि अधोहस्ताक्षरी को ऑडियो में सुनाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि श्री नीरज कुमार बिस्कोमान के हितों के विपरीत गबन आदि अनियभित कार्यों में पूर्णतः लिप्त रहे है।

5. श्री कुमार के द्वारा उपरोक्त के आलोक में किये गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया है, जो असंतोषजनक एवं भ्रामक है।

अतः लम्बे समय से बिस्कोमान को दिग्भ्रमित कर स्वयं के स्तर से किराये की राशि का प्रमाणित गबन करने/अपने अधीनस्थ कृषक सेवा केन्द्रों द्वारा की गयी प्रमाणित बड़ी राशि का गबन के लिए संरक्षण प्रदान करने/उर्वरकों की कालाबाजारी तथा नैनो यूरिया का अवैध बिक्री करने/वित्तीय अनियमितता में षडयंत्र करने/संस्था को हानि पहुँचाने तथा Legal Complication खडा करने के प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री नीरज कुमार, रेंज ऑफिसर–कम–मार्केटिंग ऑफिसर सम्प्रति तत्कालीन क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान, पूर्णियाँ अतिरिक्त प्रभार, किशनगंज/कटिहार (निलंबित) की अनुबंध सेवा तत्काल के प्रभाव से समाप्त की जाती है।

03.10.24

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक – स्था/65/स्थ–756 दिनांक – 03/10/2024

प्रतिलिपि –

1. श्री नीरज कुमार, रेंज ऑफिसर–कम–मार्केटिंग ऑफिसर सम्प्रति तत्कालीन क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान, पूर्णियाँ अतिरिक्त प्रभार, किशनगंज/कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी विभागीय प्रमुख, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
4. मुख्य लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
5. प्रशासक/प्रबंध निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।

03.10.24

प्रबंध निदेशक